न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 25/2023

प्रार्थी

पुखराज रावल पुत्र प्रतापराम जी, जाति–रावल, निवासी–पिपलकी, तहसील व जिला–सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, रामपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,रामपुरा, तहसील व जिला सिरोही
2. श्रीमती कंकुदेवी पत्नी श्री वीसाराम, जाति–रावल, निवासी–पिपलकी, तहसील व जिला सिरोही (राज.)

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री चेतन रावल, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री धीमान खत्री, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी कंकुदेवी पत्नी वीसाराम जी, जाति– रावल, निवासी– पिपलकी, तहसील व जिला सिरोही के हक में क्षेत्रफल 500 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 148/1 दिनांक 14–12–1982 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री धीमान खत्री उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 25–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व का एक आवासीय मकान मय भूखण्ड गांव पिपलकी तहसील व जिला सिरोही में आया हुआ है जिसका कुल क्षेत्रफल 4183 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में वीसारामजी का मकान, पूर्व में गली 15 फीट व पश्चिम में गोवाराम का प्लोट है। प्रार्थी की उपरोक्त आबादी भूमि का ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा दिनांक 17–10–1983 को पट्टा संख्या 4/1983 जारी किया हुआ है एवं वर्तमान में भी प्रार्थी की उक्त पट्टेशुदा आबादी भूमि पर प्रार्थी व उसके भाई का पक्का मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त आबादी भूमि में से 10X25 250 वर्गफीट भूमि को सम्मिलित कर अप्रार्थी कंकु देवी पत्नी वीसाराम जी रावल के नाम से दिनांक 14.12.1982 को पट्टा संख्या 148 जारी किया हुआ है जबकि अप्रार्थी कंकु देवी के पति वीसाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.10.1982 को प्रार्थी के पिता को लिखत कर प्रार्थी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को प्रार्थी के पिता को सुपूर्द किया था। इस प्रकार प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित पट्टेशुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी कंकु देवी का केवल 10X25 250 वर्गफीट का ही भूखण्ड है परन्तु अप्रार्थी कंकु देवी ने पंचायत से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

को सम्मिलित कर उक्त पट्टा बनवाया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी कंकु देवी को उक्त पट्टा, क्षेत्रफल 500 वर्गफीट का जारी किया हुआ है जबकि अप्रार्थी कंकु देवी व उसके पति का कभी भी उक्त भूखण्ड पर कब्जा या स्वामित्व नहीं रहा है एवं अप्रार्थी कंकु देवी ने ग्राम पंचायत, रामपुरा के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर उक्त पट्टा जारी करवाया है एवं ऐसे अवैध पट्टे के आधार पर अप्रार्थी कंकु देवी को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते हैं न ही अप्रार्थी कंकु देवी के इस पट्टे से प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड से संबंधित हक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा उक्त पट्टा जारी किये जाने से पूर्व न तो प्रार्थी को व न ही किसी अन्य विधिक वारिसान को कोई सूचना प्रदान की एवं अप्रार्थी कंकु देवी से अवैध लाभ प्राप्त कर अवैध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है। पूर्व में प्रभावी राजस्थान पंचायत राज नियमों व वर्तमान पंचायती राज नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब किसी भूमि का पट्टा एक बार ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से जारी कर दिया जाता है उसके बाद उस भूमि का स्वामित्व उस पट्टा धारक में निहित हो जाता है एवं उस भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं होता है बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी कंकु देवी ने मिलीभगत कर व अवैध लाभ प्राप्त कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई आपत्ति नोटिस जारी किया है एवं न ही पंचायत में पट्टे के संबंध में कोई रेकर्ड उपलब्ध है। यह कि यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के लगभग एक माह पूर्व अप्रार्थी कंकु देवी द्वारा चोरी चुपके रात्रि में प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के कब्जे व पट्टे शुदा भूखण्ड में निर्मित दिवार को खुर्द बुर्द कर नया निर्माण करना प्रारम्भ किये जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी कंकु देवी के नाम से बने हुए पट्टे के संबंध में जानकारी हुई। यह कि प्रश्नगत पट्टे की आड़ में अप्रार्थी कंकु देवी, प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कंकु देवी के नाम से जारी पट्टा संख्या 148 दिनांक 14.12.1982 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (कंकु देवी) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी कंकु देवी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा अपने मकान की जो चतुर्दशी बताई गई है वह चतुर्दशी मौके पर अस्तित्व में है ही नही और प्रार्थी ने अपने मकान निर्माण के दौरान पश्चिम दिशा की आम गली में उसका बाथरुप बनाकर 3 ½ फीट आम गली को समाप्त कर दिया है, मौके पर अब वहां पर प्रार्थी के मकान व अवैध बाथरुम बनाने के कारण आम गली ही बन्द हो गई है और प्रार्थी ने उत्तर दिशा की तरफ खेत में आने जाने के कच्चे रास्ते को भी अवरुद्ध कर निर्माण कार्य कर दिया है। उत्तर दिशा के खेत में आने जाने के कच्चे रास्ते से पूर्व में 3 ट्रेक्टर एक साथ आसानी से आ जा सकते थे, परन्तु प्रार्थी के अवैध निर्माण के कारण अब एक ट्रेक्टर एक साथ असानी से आ जा सकते थे परन्तु प्रार्थी के अवैध निर्माण के कारण अब एक ट्रेक्टर भी बडी मुश्किल से आ जा सकता है। उक्त रास्ता सणवा जाने का रास्ता है। अप्रार्थी कंकु देवी के पट्टे में पूर्व दिशा में 25 फीट चौडी गली दशाई हुई है और प्रार्थी के पट्टे में 15 फीट गली दर्शाई हुई है, जो 15 फीट गली गलत दर्शाई है। ग्राम पंचायत ने मौके की जांच पडताल किये बिना ही व मोहल्ले के निवासीयों को नोटिस दिये बिना ही प्रार्थी के हक में पट्टा दिनांक 17—10—1983 को पट्टा संख्या 4/1983 जारी किया है जो मौके की स्थिति के विपरित है। प्रार्थी ने अपने निर्माण कार्य के दौरान अवैध निर्माण किया है जिससे गली बन्द हो गई है। यह कि अप्रार्थी कंकु देवी को ग्राम पंचायत ने मौके पर आकर जांच पडताल कर पट्टा जारी किया है जिस समय ग्राम पंचायत के सरपंच व पदाधिकारी मौके पर आये, तब उस समय प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी के माता पिता भी मौके पर मौजूद थे। अप्रार्थी कंकु देवी के पट्टे की जानकारी शुरु से

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ही प्रार्थी व उसके परिवार को रही है। प्रार्थी अपने भूखण्ड़ को समचौरस करना चाहता है, इस कारण से प्रार्थी, अप्रार्थी कंकु देवी की पट्टे की जमीन को हडपकर अप्रार्थी कंकु देवी के निर्माण को तोडना चाहता है, जबकि स्वयं प्रार्थी ने अपने मकान के पट्टे में दक्षिण दिशा का पडौस वीसाराम का मकान बता रखा है, जबकि दक्षिण दिशा का जो भूखण्ड़ मय मकान है वह अप्रार्थी कंकु देवी के नाम पर है तथा ग्राम पंचायत ने दक्षिण दिशा के भूखण्ड़ का पट्टा अप्रार्थी कंकु देवी के नाम से जारी किया है। उक्त प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड़ पर अप्रार्थी कंकु देवी का मालिकाना कब्जा व रहवास है। उक्त भूखण्ड़ के संबंध में वीसाराम को किसी प्रकार से लिखा पढी करने का कोई कानूनन हक अधिकार नही है। अप्रार्थी कंकु देवी का मौके पर 500 वर्गफीट का पट्टा है और अप्रार्थी कंकु देवी का मौके पर शुरु से ही 500 वर्गफीट भूमि पर मालिकाना कब्जा व रहवास है। प्रार्थी एक तरफ दिनांक 14–12–1982 का पट्टा संख्या 148 अप्रार्थी कंकु देवी के हक में जारी करना बताया है और दूसरी तरफ अप्रार्थी कंकु देवी के पति वीसाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20–10–182 को प्रार्थी के पिता को लिखित कर देने की बात कर रहा है। जबकि अप्रार्थी कंकु देवी के पति वीसाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी दिनांक 20–10–1982 को कोई भी लिखत करके प्रतापजी व प्रार्थी को नही दी है। प्रार्थी इस लिखत का दुरुपयोग कर इसकी आड में माननीय न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थी कंकु देवी का मकान तुड़वाना चाहता है और अप्रार्थी कंकु देवी की पट्टे शुदा भूमि पर भी कब्जा लेना चाहता है। प्रार्थी दो दिशाओं में अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर चुका है और तीसरी दिशा में यानि अप्रार्थी कंकु देवी के भूखण्ड में भी कब्जा प्राप्त करना चाहता है। इसी सम्पत्ति से संबंधित फैसला अप्रार्थी कंकु देवी के हक में हो चुका हैं इसकी जानकारी ग्राम पंचायत व प्रार्थी को भी है। अप्रार्थी कंकु देवी का पट्टा दिनांक 01.07.1977 को जारी किया हुआ है जो 20X25= 500 वर्गफीट का है। स्वयं अप्रार्थी कंकु देवी ने अपना पट्टा बनाया उस पट्टे में अप्रार्थी कंकु देवी ने पूर्व में 15 फीट गली बतायी हैं जबकि वहां पर मौके पर अप्रार्थी कंकु देवी का पट्टे शुदा भूखण्ड आया हुआ है और 25 फीट गली आई हुई है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी के पूर्व दिशा में भी अप्रार्थी कंकु देवी का भूखण्ड आया हैं। प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन परिसीमा से बाहर हैं व प्रार्थी के हक में कोई भी वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने वाद कारण को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं कर रखा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी कंकु देवी पत्नी वीसाराम जी रावल, निवासी– पिपलकी के हक में क्षेत्रफल 25x20=500 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 148 / 1 दिनांक 14–12–1982 को जारी किया हुआ है, जो उक्त पट्टे में अंकितानुसार राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत जारी किया हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी कंकु देवी पत्नी वीसाराम जी रावल, निवासी– पिपलकी के नाम से बने हुए उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 148 / 1 दिनांक 14–12–1982 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में गली 25 फुट आम रास्ता व पश्चिम में 3 ½ फीट और वीसाराम का मकान अंकित किया हुआ है। जबकि प्रार्थी पुखराज रावल के पिता प्रतापराम रावल पुत्र गणेश जी के नाम से ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा बने हुए पट्टा संख्या 4 / 83 दिनांक 17–10–1983 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में गली 15 फुट आगे, पश्चिम में प्लोट गोवाराम, उत्तर में आम रास्ता, खेतों में जाने का व दक्षिण में वीसाराम का मकान अंकित किया हुआ है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

चूंकि प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रार्थी के पिता प्रतापराम पुत्र गणेशा जी रावल, निवासी– पिपलकी के नाम से ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा बने हुए पट्टा संख्या 4/83 दिनांक 17–10–983 के आधार पर प्रस्तुत कर अप्रार्थी कंकु देवी के नाम से ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा बने हुए पट्टा संख्या 148/1 दिनांक 14–12–1982 की भूमि में प्रार्थी के पट्टेशुदा 10X25=250 वर्गफीट भूमि भी सम्मिलित होना बताया है। जबकि अप्रार्थी कंकु देवी के नाम से पट्टा वर्ष 1982 में बना हुआ है, परन्तु प्रकरण में उभय पक्षों के कथनों से यह प्रतीत होता है कि मौके पर रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है एवं इन पट्टों में अंकित नाप व चतुर्दशी भी मौके की स्थिति अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को मौके व रेकर्ड की जांच कर विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी कंकु देवी पत्नी वीसाराम जी रावल, निवासी– पिपलकी के नाम से जारी पट्टा संख्या 148/1 दिनांक 14–12–1982 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके व रेकर्ड की जांच करके एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 मे प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *